(7)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस.)

पत्रावली संख्या : 29/2024 अपील

वेदपाल पुत्र रामनिवास निवासी रूदावल तहसील रूदावल जिला भरतपुर राज0

अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील रूदावल जिला भरतपुर।
2. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान रूदावल जिला भरतपुर।
3. ग्राम पंचायत रूदावल जरिये ग्राम विकास अधिकारी
4. साहबसिंह पुत्र सीताराम गुर्जर निवासी नगला तुला रूदावल तहसील रूदावल जिला भरतपुर।

रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार रूदावल दिनांक 02.09.2024 बाबत् आराजी खसरा नम्बर 1663 रकबा 0.07,1970 रकबा 0.10, 1694 रकबा 0.10 ऐयर किता 3 रकबा 0.27 ऐयर वाके ग्राम रूदावल ।

उपस्थिति :

1. श्री रमनलाल मित्तल अभिभाषक अपीलांट
2. श्री प्रमोद कुमार उपमन अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय दिनांक : 02.04.2026

अपीलांट ने अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 जरिये अभिभाषक विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार रूदावल दिनांक 02.09.2024 बावत नामान्तरकरण संख्या 1663 बाके ग्राम रूदावल तहसील रूदावल जिला भरतपुर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण रैस्पोडेन्ट संख्या 4 के लिये किये गये वयनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो. को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की तहत पत्रावली तलब की गयी।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1663,1670,1694 वाके

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

ग्राम रूदावल में स्थित है जो हाल बंदोबस्तम से पूर्व 50 वर्षो से राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है और मौके पर रूदावल से करनपुरा को होकर मुख्य स्टेट हाईवे से मिलती है व मौके पर पीडब्लूडी ने डाबर सडक बनाई हुई है व कभी भी काश्त नही हुई है परन्तु राजस्व रिकार्ड में अपीलांट व अन्य परिवारीजन की गलत खातेदारी इन्द्राज है जो काबिल दुरूस्ती है। वादग्रस्त आराजी पर हो रहे अवैध इन्द्राज को आधार बनाकर सह हिस्सेदार विष्णु ने दिनांक 23.08.2024 को रजिस्टर्ड वयनामा से बिना कब्जे के गलत खातेदारी के इन्द्राज के आधार पर हरभानसिंह को वयनामा करा दिया है। इसी प्रकार सह हिस्सेदार जयनारायण ने दिनांक 28.08.2024 को बिना कब्जे के साहब सिंह को विक्रय कर दिया है परन्तु तहसीलदार ने बिना मौके की जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वयनामा के 30 दिवस में नामान्तकरण स्वीकार करने का अधिकार ग्राम पंचायत का था किन्तु तहसलीदार ने बिना कानूनी अधिकार के अवैध अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार कर खातेदार दर्ज करने में कानूनी त्रुटि की है। वादग्रस्त भूमि पर आज भी मौके पर डाबर सडक है व सैकडो वर्ष से रास्ता मौके पर बना हुआ है। रास्ते पर गलत नामान्तकरण के आधार पर रास्ते के आवागमन में अवरोध पैदा हो रहा है जिसकी जानकारी दिनांक 04.11.2024 को हुई और बिना किसी देरी के नकल प्राप्त की। अपीलांट द्वारा अपील के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2012, मिलान क्षेत्रफल, ग्राम सभा दिनांक 16.8.2024 के प्रस्ताव की प्रति व अन्य की अप्रमाणित पेश की है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का अनुरोध किया गया है। म्याद को कण्डोन किये जाने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम पृथक से पेश किया गया है। अन्त में अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार रूदावल के अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 359 दिनांक 02.09.2024 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना अपनी बहस में की गई है।

अभिभाषक रेस्पोडैन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि नामान्तकरण संख्या 359 दिनांक 02.09.2024 को जरिये विक्रय पत्र के आधार पर इन्द्राज किया गया है। वयनामा के आधार पर नामान्तकरण की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थीगण की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पंजीकृत वयनामा को सक्षम न्यायालय से निरस्तीकरण की कार्यवाही की जानी चाहिये थी जो उनके द्वारा मात्र नामान्तकरण की अपील की है जो कि न्यायोचित नही है। इस आधार पर आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को इसी आधार पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:–

> ^^Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(9)

result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants^^

तथा आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

^^ Liberal view should be Taken in Cononding The Dely in Filling The appeal^^

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया। अपीलांट द्वारा तहसीलदार रूदावल के अपीलाधीन नामान्तकरण 359 दिनांक 02.09.2024 के विरूद्ध अपील पेश की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 359 दिनांक 02.09.2024 वाके ग्राम रूदावल तहसील रूदावल में विकयनामा दिनांक 16.01.2023 के आधार पर दाखिल खारिज उत्तरवादी गण संख्या 01 लगायत 4 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विवादित आराजी खातेदारी में होते हुये गै0मु0रास्ता रही है। अपीलाधीन नामान्तकरण वयनामा के आधार पर तहसीलदार रूदावल द्वारा स्वीकृत किया है जिसमें तहत अदालत द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता किया जाना प्रतीत नही होता है। अपीलान्टगण द्वारा भी कथन किया है कि गै0मु0रास्ता से सबंधित आराजी का विकय नही किया जा सकता है तथा जो विकयनामा किया गया है वह फर्जी है के सबंध में अपीलांट को गै0मु0रास्ता पर हो रही खातेदारी अधिकार/विकयनामा को सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश वयनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया जिसमें कोई त्रुटि होना प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आज्ञा है कि अपील अपीलांट उपरोक्त विवेचनानुसार खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रूदावल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर